

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 367]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 5 जुलाई 2010—आषाढ़ 14, शक 1932

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2010

क्र. बी-11-1-2010-चौदह-2.—भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011-01-2008-क्रेडिट-2, 3 मार्च 2010 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश शासन द्वारा पायलेट आधार पर एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Agriculture Insurance Company of India Limited) /आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड (ICICI Lombard General Insurance Company limited) के माध्यम से मौसम आधारित (पायलेट) फसल बीमा योजना को खरीफ 2010 के लिए निम्न सूची अनुसार अधिसूचित की जाती हैं :-

2. मध्यप्रदेश राज्य में मौसम आधारित (पायलेट)फसल बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2010 की जिलों एवं तहसीलों की सूची निम्नानुसार है :-

क्र. सं. (1)	जिला (2)	अधिसूचित तहसील (3)	अधिसूचित फसल (4)	कृषक श्रेणी (5)	बीमा कम्पनी (6)
1	इन्दौर	इन्दौर महू सांवेर देपालपुर हातोद	सोयाबीन, कपास सोयाबीन, कपास सोयाबीन, कपास सोयाबीन, कपास सोयाबीन, कपास	ऋणी और अऋणी कृषक	एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड.
2	धार	धार बदनावर सरदारपुर कुक्षी मनावर गंधवानी धरमपुरी	सोयाबीन, कपास सोयाबीन, कपास सोयाबीन, कपास सोयाबीन, कपास सोयाबीन, कपास सोयाबीन, कपास सोयाबीन, कपास	ऋणी और अऋणी कृषक	आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड

3. मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत एग््रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, को देय कुल प्रीमियम राशि (जिसमें कृषकों द्वारा देय कुल प्रीमियम राशि भी सम्मिलित हैं) जोखिम अवधि, आवरित जोखिम बीमा राशि, बीमा हेतु अंतिम तिथियों का जिलेवार, तहसीलवार, एवं फसलवार, संदर्भित मौसम केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं। इसी तरह मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आईसीआईसीआई लॉबार्ड, को देय कुल प्रीमियम राशि (जिसमें कृषकों द्वारा देय प्रीमियम राशि भी सम्मिलित हैं) जोखिम अवधि, आवरित जोखिम बीमा राशि, बीमा हेतु अंतिम तिथियों का जिलेवार, तहसीलवार, एवं फसलवार, संदर्भित मौसम केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट-3 एवं परिशिष्ट-4 पर संलग्न हैं।

4. इस योजना का क्रियान्वयन खरीफ 2010 मौसम में निम्नानुसार किया जाएगा :-

- 4.1 जिस क्षेत्र और फसल के लिए दोनों बीमा कम्पनियों मौसम आधारित (पायलेट) फसल बीमा योजना क्रियान्वित कर रही हैं, उन अधिसूचित क्षेत्रों (तहसील/ पटवारी हल्का) में इस योजना में अधिसूचित फसलों के लिए ऋणी कृषकों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना उपलब्ध नहीं होगी, परन्तु अऋणी कृषक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना या मौसम आधारित फसल बीमा योजना में से किसी एक योजना का चुनाव कर सकते हैं।
- 4.2 यह पायलेट योजना अधिसूचित फसल व क्षेत्र के सभी किसानों को उपलब्ध होगी किन्तु योजना ऋणी किसानों के लिये अनिवार्य तथा अऋणी किसानों के लिये स्वैच्छिक होगी।
- 4.3 इस योजना हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार ऋणी किसान वही हैं, जिनके लिये अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के लिये संदर्भित इकाई क्षेत्र में वित्तीय संस्थान से अनुमोदित ऋण/साख स्वीकृत किया गया है।
- 4.4 बीमित राशि लगभग कृषि कार्य खर्च के बराबर रहेगी और एआईसी/ आईसीआईसीआई लॉबार्ड द्वारा पहले इसकी घोषणा कर दी जाएगी, जिसका विवरण परिशिष्ट -1 एवं परिशिष्ट -3 पर है। व्यक्तिगत कृषक के लिए बीमित राशि कृषक द्वारा घोषित जोत के अन्तर्गत अधिसूचित फसल के लिए रकबा (हेक्टेयर में) एवं अधिसूचना में दर्शायी गयी बीमित राशि का गुणांक होगा। गणना निम्न सूत्रानुसार की जायेगी :-

(बीमित राशि = जोत के अन्तर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर) x पूर्व निर्धारित बीमा राशि प्रति हेक्टेयर)

- 4.5 फसलवार जोत के अन्तर्गत क्षेत्र की प्रति फसल के आधार पर निम्नानुसार गणना होगी:-

अ. ऋणी कृषक :- अधिसूचित फसल के लिए जोत के अन्तर्गत रकबों की घोषणा उसके द्वारा पहले ही, वित्तीय संस्था में उसकी अधिकतम ऋण सीमा (मैक्जिमम बारोइंग लिमिट, एमबीएल) निश्चित करने के उद्देश्य के लिए, ऋण आवेदन पत्र में दिए गए आधार पर कर दी गई है।

ब. अऋणी कृषक:- किसान बीमा प्रस्ताव पत्र में प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए जोत के अन्तर्गत रकबे की घोषणा करेगा।

- 4.6 इस योजना का संचालन अधिसूचित संदर्भित क्षेत्र के क्षेत्र दृष्टिकोण (एरिया एप्रोच) सिद्धांत के आधार पर होगा। क्षेत्र दृष्टिकोण का आशय है कि संदर्भित इकाई क्षेत्र (Reference

Unit Area) से है। संदर्भित इकाई क्षेत्र को फसलों की जोखिम स्वीकार करने और दावा आंकलन के लिए बीमित इकाई क्षेत्र माना गया है।

4.7. प्रीमियम दर की गणना वास्तविक आधार पर मानक प्रीमियम दर विधि (स्टैंडर्ड प्रीमियम रेटिंग मेथेडोलोजी) का उपयोग कर की गई है। किसान द्वारा शुद्ध प्रीमियम राशि खाद्य व तिलहन फसलों के लिये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना द्वारा निर्धारित प्रीमियम राशि के बराबर देय होगी एवं व्यावसायिक फसल हेतु प्रीमियम राशि का एक भाग कृषक द्वारा तथा शेष बची हुई प्रीमियम राशि का राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में अनुदान के रूप में वहन किया जायेगा। (फसलवार, क्षेत्रवार ब्यौरा परिशिष्ट 1 एवं परिशिष्ट-3 में दिया गया है।)

4.8. प्रतिकूल मौसम घटनाक्रम की वजह से एवं योजना की शर्तों एवं प्राप्त प्रीमियम राशि तथा भुगतान सारणी के अधीन देय समस्त क्षतिपूर्ति/भुगतान हेतु संबंधित बीमा कंपनी (एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया (AIC)/ आईसीआईसीआई लॉबार्ड) उत्तरदायी होगी। सभी प्रकार के दावों का भुगतान संबंधित बीमा कंपनी (एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड /आईसीआईसीआई लॉबार्ड) द्वारा वहन किया जाएगा।

5. दावा भुगतान प्रक्रिया:-

क. दावा राशि का भुगतान संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा मौसम केन्द्र से वर्षा के आंकड़े प्राप्त होने या योजना के प्रावधानों के अनुसार कृषकों को किया जायेगा।

ख. चालू वर्ष में मौसम के आँकड़ों का स्रोत परिशिष्ट -1 एवं परिशिष्ट -3 में दर्शाया गया है। दावा प्रक्रिया स्वचलित होगी। संबंधित बीमा कंपनी द्वारा दावों का आंकलन, प्राप्त वास्तविक मौसम के आंकड़ों के आधार पर किया जायेगा, बीमित के खाते में शीर्ष बैंक वित्तीय संस्था का उपयोग करते हुये दावा राशि स्वयं ही जमा करा दी जायेगी।

6. अधिसूचित तहसीलों एवं फसलों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत प्रायोजित फसल कटाई प्रयोगों का आयोजन यथावत किया जाएगा। किन्तु इन प्रयोगों के परिणाम का कोई असर दावों की गणना अथवा भुगतान पर नहीं पड़ेगा।

7. अत्ररणी कृषकों का भौतिक सत्यापन संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय कृषि अधिकारी और उपसंचालक कृषि के द्वारा किया जायेगा तत्पश्चात् ही राज्य शासन प्रीमियम अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

8. आई.सी.आई.सी.आई. लॉबार्ड को बीमे की कार्यवाही ए.आई.सी. के अनुरूप बैंकों के माध्यम से करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ.एच.बी.एस. भदौरिया)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मध्यप्रदेश राज्य मौसम आधारित फसल बीमा योजना (पायलट) मौसम खरीफ 2010

प्रतिशत : 1

क्रियान्वयन एजेंसी :- एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि.

संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित मौसम केन्द्र, वैकल्पिक मौसम केन्द्र, फसलवार बीमित राशि, प्रीमियम की दरें, सरकारी अनुदान और किसान द्वारा देय प्रीमियम

क्र. सं.	फसल	जिला	संदर्भित इकाई क्षेत्र / तहसील	संदर्भित मौसम केन्द्र	वैकल्पिक (वैकल्पिक) मौसम केन्द्र	आवृत्त मौसम जोखिम एवं आवरण के अनुसार जोखिम अवधि	बीमित राशि (रु.) प्रति हेक्टर	शुद्ध प्रीमियम प्रति हेक्टर (रु.)	कुल प्रीमियम सेवा कर सहित प्रति हेक्टर (रु.)	राज्य सरकार अनुदान प्रीमियम सेवा कर सहित प्रति हेक्टर (रु.)	केंद्र सरकार अनुदान सेवा कर सहित प्रति हेक्टर (रु.)	किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि (सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	बीमा कर के अंतर्गत दिनांक		एवाइंसी को घोषणा पत्र, प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक	
													शुरुआती शुल्क	अंतिम शुल्क	शुरुआती शुल्क	अंतिम शुल्क
1	सोयाबीन	इन्दौर	इन्दौर	IMD इन्दौर	इन्दौर, स्वचालित मौसम केन्द्र (NCMSL)	13. वर्षों में कमी (10 जुलाई से 15 अक्टूबर 2010)	18000	1800	1885.40	645.20	645.20	695.00	10 अगस्त 2010	09 जुलाई 10 सितम्बर 2010	10 अगस्त 2010	24 जुलाई 2010
						14. वर्षों वितरण (15 जुलाई से 31 अगस्त 2010)							09 अगस्त 2010	09 जुलाई 10 सितम्बर 2010		
						2. अधिक वर्षों जुलाई से 31 अक्टूबर 2010										
2	सोयाबीन	इन्दौर	महू	स्वचालित मौसम केन्द्र (NCMSL)	IMD इन्दौर	13. वर्षों में कमी (10 जुलाई से 15 अक्टूबर 2010)	18000	1800	1885.40	645.20	645.20	695.00	10 अगस्त 2010	09 जुलाई 10 सितम्बर 2010	10 अगस्त 2010	24 जुलाई 2010
						14. वर्षों वितरण (15 जुलाई से 31 अगस्त 2010)							09 अगस्त 2010	09 जुलाई 10 सितम्बर 2010		
						2. अधिक वर्षों जुलाई से 31 अक्टूबर 2010										
3	सोयाबीन	इन्दौर	सांनेर	स्वचालित मौसम केन्द्र (NCMSL)	IMD इन्दौर	13. वर्षों में कमी (10 जुलाई से 15 अक्टूबर 2010)	18000	1800	1885.40	645.20	645.20	695.00	10 अगस्त 2010	09 जुलाई 10 सितम्बर 2010	10 अगस्त 2010	24 जुलाई 2010
						14. वर्षों वितरण (15 जुलाई से 31 अगस्त 2010)							09 अगस्त 2010	09 जुलाई 10 सितम्बर 2010		
						2. अधिक वर्षों जुलाई से 31 अक्टूबर 2010										
4	सोयाबीन	इन्दौर	देपालपुर	स्वचालित मौसम केन्द्र (NCMSL)	IMD इन्दौर	13. वर्षों में कमी (10 जुलाई से 15 अक्टूबर 2010)	18000	1800	1885.40	645.20	645.20	695.00	10 अगस्त 2010	09 जुलाई 10 सितम्बर 2010	10 अगस्त 2010	24 जुलाई 2010
						14. वर्षों वितरण (15 जुलाई से 31 अगस्त 2010)							09 अगस्त 2010	09 जुलाई 10 सितम्बर 2010		
						2. अधिक वर्षों जुलाई से 31 अक्टूबर 2010										
5	सोयाबीन	इन्दौर	हातोद	स्वचालित मौसम केन्द्र (NCMSL)	IMD इन्दौर	13. वर्षों में कमी (10 जुलाई से 15 अक्टूबर 2010)	18000	1800	1885.40	645.20	645.20	695.00	10 अगस्त 2010	09 जुलाई 10 सितम्बर 2010	10 अगस्त 2010	24 जुलाई 2010
						14. वर्षों वितरण (15 जुलाई से 31 अगस्त 2010)							09 अगस्त 2010	09 जुलाई 10 सितम्बर 2010		
						2. अधिक वर्षों जुलाई से 31 अक्टूबर 2010										

* स्वचालित मौसम केन्द्र (NCMSL- National Collateral Management Services Ltd.)

** भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD - Indian Meteorological Department)

मध्यप्रदेश राज्य मौसम आधारित फसल बीमा योजना (पायलट) मौसम खरीफ 2010

प्रतिशत : 1

क्रियान्वयन एजेंसी :- एप्रिकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि.
संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित मौसम केंद्र, वैकल्पिक मौसम केंद्र, फसलवार बीमित राशि, प्रीमियम की दरें सरकारी अनुदान और किसान द्वारा देय प्रीमियम

क्र. सं.	फसल	जिला	संदर्भित इकाई क्षेत्र / तहसील	संदर्भित मौसम केंद्र	वैकल्पिक (वैकल्प) मौसम केंद्र	आवृत्त मौसम जोखिम एवं आराम के अनुसार जोखिम अवधि	शीतल राशि प्रति हेक्टर (रु.)	बूट प्रीमियम सेवा कर राशि प्रति हेक्टर (रु.)	राज्य सरकार अनुदान सेवा कर राशि प्रति हेक्टर (रु.)	केंद्र सरकार अनुदान सेवा कर राशि प्रति हेक्टर (रु.)	किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि (बीमा कर राशि) प्रति हेक्टर (रु.)	बीमा करने की शर्तें		एखाड़ी की योजना एवं प्रीमियम राशि के अन्तर्गत बीमा करने की अंतिम दिनांक
												शुरुआती कृषक	अंतिम कृषक	
1	कपास	इन्दौर	इन्दौर	IMD इन्दौर	इन्दौर, स्वशासित मौसम केंद्र (NCMSL)	1. 1. वर्षों में कमी (10 जुलाई से 15 अक्टूबर 2010)	20000	2400	661.60	661.60	1324.00	10 अगस्त 2010	08 जुलाई 2010	24 जुलाई 2010
						1. वर्षों वितरण (15 जुलाई से 05 सितंबर 2010)						10 अगस्त 2010	08 जुलाई 2010	
						2. अधिक वर्ष (10 जुलाई से 15 नवंबर 2010)						10 अगस्त 2010	08 जुलाई 2010	
2	कपास	इन्दौर	महू	स्वशासित मौसम केंद्र (NCMSL)	IMD इन्दौर	1. 1. वर्षों में कमी (10 जुलाई से 15 अक्टूबर 2010)	20000	2400	661.60	661.60	1324.00	10 अगस्त 2010	08 जुलाई 2010	24 जुलाई 2010
						1. वर्षों वितरण (15 जुलाई से 05 सितंबर 2010)						10 अगस्त 2010	08 जुलाई 2010	
						2. अधिक वर्ष (10 जुलाई से 15 नवंबर 2010)						10 अगस्त 2010	08 जुलाई 2010	
3	कपास	इन्दौर	साबिर	स्वशासित मौसम केंद्र (NCMSL)	IMD इन्दौर	1. 1. वर्षों में कमी (10 जुलाई से 15 अक्टूबर 2010)	20000	2400	661.60	661.60	1324.00	10 अगस्त 2010	08 जुलाई 2010	24 जुलाई 2010
						1. वर्षों वितरण (15 जुलाई से 05 सितंबर 2010)						10 अगस्त 2010	08 जुलाई 2010	
						2. अधिक वर्ष (10 जुलाई से 15 नवंबर 2010)						10 अगस्त 2010	08 जुलाई 2010	
4	कपास	इन्दौर	देपालपुर	स्वशासित मौसम केंद्र (NCMSL)	IMD इन्दौर	1. 1. वर्षों में कमी (10 जुलाई से 15 अक्टूबर 2010)	20000	2400	661.60	661.60	1324.00	10 अगस्त 2010	08 जुलाई 2010	24 जुलाई 2010
						1. वर्षों वितरण (15 जुलाई से 05 सितंबर 2010)						10 अगस्त 2010	08 जुलाई 2010	
						2. अधिक वर्ष (10 जुलाई से 15 नवंबर 2010)						10 अगस्त 2010	08 जुलाई 2010	
5	कपास	इन्दौर	हातोद	स्वशासित मौसम केंद्र (NCMSL)	IMD इन्दौर	1. 1. वर्षों में कमी (10 जुलाई से 15 अक्टूबर 2010)	20000	2400	661.60	661.60	1324.00	10 अगस्त 2010	08 जुलाई 2010	24 जुलाई 2010
						1. वर्षों वितरण (15 जुलाई से 05 सितंबर 2010)						10 अगस्त 2010	08 जुलाई 2010	
						2. अधिक वर्ष (10 जुलाई से 15 नवंबर 2010)						10 अगस्त 2010	08 जुलाई 2010	

* स्वशासित मौसम केंद्र (NCMSL- National Collateral Management Services Ltd.)

** भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD - Indian Meteorological Department)

एग्रीकल्चर इश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड परिशिष्ट : 2
मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ 2010
टर्मशीट (Termsheet)

राज्य : मध्यप्रदेश	जिला : इन्दौर	विकास केंद्र : इन्दौर	विकास केंद्र : इन्दौर
कंपाल	संचालित मौसम केंद्र	इन्दौर आई.एम.डी. (IMD)	वैकल्पिक मौसम केंद्र :
वर्षा में कमी			इन्दौर स्वचालित मौसम केंद्र (NCMSL)

अवस्था - प्रथम		अवस्था - द्वितीय		अवस्था - तृतीय	
अवधि	10 जुलाई से 31 जुलाई	1 अगस्त से 25 अगस्त	26 अगस्त से 15 अक्टूबर	1 अगस्त से 25 अगस्त	26 अगस्त से 15 अक्टूबर
संकेतक I (<)	100 मि.मी.	100 मि.मी.	120 मि.मी.	100 मि.मी.	120 मि.मी.
संकेतक II (<=)	40 मि.मी.	100 मि.मी.	50 मि.मी.	100 मि.मी.	50 मि.मी.
निर्णय	0	0	0	0	0
दर I (रु./मि.मी.)	17.00	18.00	22.00	18.00	22.00
दर II (रु./मि.मी.)	37.00	44.00	49.20	44.00	49.20
अधिकतम पे-आउट (रु.)	2500	8000	4000	2500	4000
कुल पे-आउट (रु.)	12500			12500	

अवस्था - प्रथम		अवस्था - द्वितीय		अवस्था - तृतीय	
अवधि	10 जुलाई से 31 जुलाई	1 अगस्त से 25 अगस्त	26 अगस्त से 15 अक्टूबर	1 अगस्त से 25 अगस्त	26 अगस्त से 15 अक्टूबर
संकेतक I (>=)	15	20	25	15	20
पे-आउट (रु.)	1000	2000	3500	1000	2000
कुल पे-आउट (रु.)	3500			3500	

नोट : किसी अवस्था में संकेतक से दोपुने से अधिक वर्षा को अगली अवस्था में जोड़ा (Carry Forward) जायेगा। प्रथम अवस्था के अन्तर्गत संकेतक से अधिक की 25 प्रतिशत वर्षा (जबकि वर्षा संकेतक को दोपुने से अधिक रिकार्ड की गई हो) अवस्था द्वितीय के लिये मानी जायेगी। द्वितीय अवस्था के अन्तर्गत संकेतक से अधिक की 30 प्रतिशत वर्षा (जबकि वर्षा संकेतक को दोपुने से अधिक रिकार्ड की गई हो) अवस्था तृतीय के लिए मानी जायेगी।

वर्ष वितरण (लगातार सूखे दिन)	15 जुलाई से 5 सितम्बर
अवधि	15
संकेतक दिन (>=)	20
पे-आउट (रु.)	1000
कुल पे-आउट (रु.)	3500

2. किसी भी दिन यदि वर्षा 2.5 मि.मि. से कम रिकार्ड होती है तो उसे वर्षा का दिन नहीं माना जायेगा और बहुत घटनाओं को अंतिम पे-आउट के लिए विचार किया जायेगा

अवस्था - प्रथम		अवस्था - द्वितीय		अवस्था - तृतीय	
अवधि	10 जुलाई से 31 जुलाई	1 अगस्त से 25 अगस्त	26 अगस्त से 15 अक्टूबर	1 अगस्त से 25 अगस्त	26 अगस्त से 15 अक्टूबर
लगातार दो दिनों की वर्षा	125 मि.मि.	150 मि.मि.	75 मि.मि.	150 मि.मि.	75 मि.मि.
निर्णय (मि.मि.)	225 मि.मि.	250 मि.मि.	150 मि.मि.	250 मि.मि.	150 मि.मि.
पे-आउट (रु./मि.मि.)	7.50	10.00	30.00	7.50	10.00
अधिकतम पे-आउट	750	1000	2250	750	1000
कुल पे-आउट (रु.)	4000			4000	

अवस्था - प्रथम		अवस्था - द्वितीय		अवस्था - तृतीय	
अवधि	10 जुलाई से 31 जुलाई	1 अगस्त से 25 अगस्त	26 अगस्त से 15 अक्टूबर	1 अगस्त से 25 अगस्त	26 अगस्त से 15 अक्टूबर
लगातार दो दिनों की वर्षा	125 मि.मि.	150 मि.मि.	75 मि.मि.	150 मि.मि.	75 मि.मि.
निर्णय (मि.मि.)	225 मि.मि.	250 मि.मि.	150 मि.मि.	250 मि.मि.	150 मि.मि.
पे-आउट (रु./मि.मि.)	7.50	10.00	30.00	7.50	10.00
अधिकतम पे-आउट	750	1000	2250	750	1000
कुल पे-आउट (रु.)	4000			4000	

कुल बीमा प्रीमियम (रु.)	20000
प्रीमियम (रु.)	2400
प्रीमियम %	12%
सवाकार-10.30%	247.20
कुल प्रीमियम (रु.)	2647.20

कुल बीमा प्रीमियम (रु.)	20000
प्रीमियम (रु.)	2400
प्रीमियम %	12%
सवाकार-10.30%	247.20
कुल प्रीमियम (रु.)	2647.20

नोट : बीमित प्राप्ति के 2.5 प्रतिशत पर फ्रान्चाइज (Franchise) लागू होगा अर्थात यदि कुल दावा प्राप्ति रकम 450.00 से कम होती है तो दावा देय नहीं होगा।

परिशिष्ट : 2

एग््रीकल्चर इश्योरंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीक 2010

टर्मशीट (Termsheet)

राज्य : मध्यप्रदेश

जिला : इन्दौर

तहसील : सादर

काल वर्ष में कमी	कपास	सदरमिनि मौसम केन्द्र	सादर - स्वकालित मौसम केन्द्र (N.C.M.S.I.)	वैकल्पिक मौसम केन्द्र	इन्दौर आई.एम.डी. (I.M.D.)
------------------	------	----------------------	---	-----------------------	---------------------------

वर्ष का आयतन	अवस्था - प्रथम		अवस्था - द्वितीय		अवस्था - तृतीय	
	अवधि	10 जुलाई से 31 जुलाई	1 अगस्त से 25 अगस्त	26 अगस्त से 15 अक्टूबर	16 अगस्त से 31 अक्टूबर	1 नवंबर से 15 नवंबर
सकेतक I (<)	100	100	200	120	50	0
सकेतक II (<)	40	40	100	100	22.00	49.20
निर्गम	0	0	0	0	0	0
दर I (रु./मि.मि.)	17.00	17.00	18.00	18.00	44.00	8000
दर II (रु./मि.मि.)	37.00	37.00	44.00	44.00	49.20	4000
अधिकतम पे-आउट (रु.)	2800	2800	8000	8000	8000	8000
कुल पे-आउट (रु.)	12500	12500	8000	8000	8000	8000

नोट : किसी अवस्था में संकेतक से दोगुने से अधिक वर्षा को अपनी अवस्था में जोड़ा (Carry Forward) जायेगा। प्रथम अवस्था के अन्तर्गत संकेतक से अधिक की 25 प्रतिशत वर्षा (जगकि वर्षा संकेतक के दोगुने से अधिक रिकार्ड की गई हो) अवस्था द्वितीय के विधे मानी जायेगी। द्वितीय अवस्था के अन्तर्गत संकेतक से अधिक की 30 प्रतिशत वर्षा (जगकि वर्षा संकेतक के दोगुने से अधिक रिकार्ड की गई हो) अवस्था तृतीय के लिए मानी जायेगी।

वर्ष वितरणा (लगातार सूखे दिन)	15 जुलाई से		5 सितम्बर से	
	अवधि	सकेतक दिन (>=)	अवधि	सकेतक दिन (>=)
पे-आउट (रु.)	15	20	25	3500
कुल पे-आउट (रु.)	1000	2000	3500	3500

नोट : किसी भी दिन यदि वर्षा 2.5 मि.मि. से कम रिकार्ड होती है तो उसे वर्षा का दिन नहीं माना जायेगा और बहुत घटनाओं को अंतिम पे-आउट के लिए विचार किया जायेगा।

अधिक वर्षा (बहुत घटनाएं)	अवस्था - प्रथम		अवस्था - द्वितीय		अवस्था - तृतीय	
	अवधि	10 जुलाई से 31 जुलाई	1 अगस्त से 25 अगस्त	26 अगस्त से 15 अक्टूबर	16 अगस्त से 31 अक्टूबर	1 नवंबर से 15 नवंबर
लगातार दो दिनों की वर्षा	125	125	150	75	150	150
सकेतक (>)	225	225	250	150	150	150
निर्गम (मि.मि.)	7.50	7.50	10.00	10.00	10.00	10.00
पे-आउट (रु./मि.मि.)	750	750	1000	1000	1000	1000
अधिकतम पे-आउट	4000	4000	4000	4000	4000	4000
कुल पे-आउट (रु.)	4000	4000	4000	4000	4000	4000

कुल बीमा राशि (रु.)	20000
प्रिमियम (रु.)	2400
प्रिमियम %	12%
संवाक-10.30%	247.20
कुल प्रिमियम (रु.)	2647.20

प्रिमियम राशि रु. (सेवाकर सहित)	
कुल हारा रेष	1524.00
राज्य सरकार का प्रिमियम अनुदान	681.60
कुल प्रिमियम	842.40

नोट : शीमित राशि के 2.5 प्रतिशत पर फ्रान्चाइज (Franchise) लागू होगा अर्थात् यदि कुल राशि 450.00 से कम होती है तो राशि रेष नहीं होगा।

एप्रीकल्चर इश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
 बीएसएम आधारीत फसल बीमा योजना खरीफ 2010
 टर्मशीट (Termsheet)

राज्य : मध्यप्रदेश

जिला : इन्डौर

तहसील : देपालपुर

कमास	सदरमित्त बीएसएम केंद्र, देपालपुर - स्वकारित बीएसएम केंद्र (NCMSL)	वैकल्पिक बीएसएम केंद्र :	इन्डौर आईएम.डी. (IIMD)
वर्षा में कमी			

वर्षा का आयमन	अवस्था - प्रथम		अवस्था - द्वितीय		अवस्था - तृतीय	
	अवधि	10 जुलाई से 31 जुलाई	1 अप्रैल से 25 अप्रैल	26 अप्रैल से 15 अक्टूबर	1 अप्रैल से 25 अप्रैल	26 अप्रैल से 15 अक्टूबर
सकेतक I (<)	100	100 मि.मी.	200	170 मि.मी.	170	170 मि.मी.
सकेतक II (<)	40	40 मि.मी.	100	100 मि.मी.	50	50 मि.मी.
निर्णय	0	0	0	0	0	0
दर I (₹./मि.मी.)	17.00	17.00	18.00	22.00	18.00	22.00
दर II (₹./मि.मी.)	37.00	37.00	44.00	49.20	44.00	49.20
अधिकतम पे-आउट (₹.)	2500	2500	6000	6000	4000	4000
कुल पे-आउट (₹.)	12500	12500				

नोट : किसी अवस्था में संकेतक से दोगुने से अधिक वर्षा को अपनी अवस्था में जोड़ा (Carry Forward) जायेगा। प्रथम अवस्था के अन्तर्गत संकेतक से अधिक की 25 प्रतिशत वर्षा (खसकि वर्षा संकेतक के दोगुने से अधिक रिकार्ड की गई हो) अवस्था द्वितीय के लिये मानी जायेगी। द्वितीय अवस्था के अन्तर्गत संकेतक से अधिक की 30 प्रतिशत वर्षा (खसकि वर्षा संकेतक के दोगुने से अधिक रिकार्ड की गई हो) अवस्था तृतीय के लिए मानी जायेगी।

वर्षा वितरण (लगातार सूखे दिन)	अवधि	15 जुलाई से 20	20 से 25	25 से 3500
सकेतक दिन (>=)	15	15	20	25
पे-आउट (₹.)	1000	1000	2000	3500
कुल पे-आउट (₹.)	3500			

2. : किसी भी दिन यदि वर्षा 2.5 मि.मि. से कम रिकार्ड होती है तो उसे वर्षा का दिन नहीं माना जायेगा और बहुल घटनाओं को अंतिम पे-आउट के लिए विचार किया जायेगा।

अधिक वर्षा (बहुल घटनाएँ)	अवस्था - प्रथम		अवस्था - द्वितीय		अवस्था - तृतीय	
	अवधि	10 जुलाई से 31 जुलाई	1 अप्रैल से 15 सितम्बर	16 सितम्बर से 15 नवंबर	1 अप्रैल से 15 सितम्बर	16 सितम्बर से 15 नवंबर
लगातार दो दिनों की वर्षा	125	125 मि.मि.	150	75 मि.मि.	75	75 मि.मि.
सकेतक (>)	225	225 मि.मि.	250	150 मि.मि.	150	150 मि.मि.
निर्णय (मि.मि.)	7.50	7.50	10.00	30.00	30.00	30.00
पे-आउट (₹./मि.मि.)	750	750	1000	2250	1000	2250
अधिकतम पे-आउट	4000	4000				
कुल पे-आउट (₹.)	20000	20000				

कुल बीमा राशि (₹.)	20000
प्रीमियम (₹.)	2400
प्रीमियम %	12%
संचार-10.50%	247.20
कुल प्रीमियम (₹.)	2647.20

प्रीमियम राशि रु. (संवर्कर सहित)	
कृषक द्वारा देय	राज्य संस्कार का प्रीमियम अनुदान
1324.00	681.60
	681.60

नोट : बीमित राशि के 2.5 प्रतिशत पर फचाइज (Franchise) लागू होगा अर्थात यदि कुल दावा राशि रुपये 450.00 से कम होती है तो दावा देय नहीं होगा।

परिशिष्ट : 2

एग्रीकल्चर इश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ 2010
टर्मशीट (Termsheet)

राज्य : मध्यप्रदेश

जिला : इन्दौर

तहसील :

बहु

कपास	सदमित मौसम केंद्र : बहु	स्वावलंबित मौसम केंद्र (NCMSL)	वैकल्पिक मौसम केंद्र :
वर्षा में कमी			इन्दौर आई.एम.डी. (IIMD)

वर्षा का आयतन	अवस्था - प्रथम		अवस्था - द्वितीय		अवस्था - तृतीय	
	10 जुलाई से	31 जुलाई	1 अगस्त से	25 अगस्त	28 अगस्त से	15 अक्टूबर
सकेतक I (<)	100	नि.मी.	200	नि.मी.	120	नि.मी.
सकेतक II (<=)	40	नि.मी.	100	नि.मी.	50	नि.मी.
निराम	0	नि.मी.	0	नि.मी.	0	नि.मी.
दर I (रु./नि.मी.)	17.00		16.00		22.00	
दर II (रु./नि.मी.)	37.00		44.00		49.20	
अधिकतम पे-आउट (रु.)	2500		6000		4000	
कुल पे-आउट (रु.)	12500					

नोट : किसी अवस्था में संकेतक से दो गुने से अधिक वर्षा को आगोली अवस्था में जोड़ (Carry Forward) जायेगा। प्रथम अवस्था के अन्तर्गत संकेतक से अधिक की 25 प्रतिशत वर्षा (जबकि वर्षा संकेतक के दो गुने से अधिक रिकार्ड की गई हो) अवस्था द्वितीय के लिये मानी जायेगी। द्वितीय अवस्था के अन्तर्गत संकेतक से अधिक की 30 प्रतिशत वर्षा (जबकि वर्षा संकेता के दो गुने से अधिक रिकार्ड की गई हो) अवस्था तृतीय के लिए मानी जायेगी।

वर्षा वितरण (लगतार सूखे दिन)	15 जुलाई से		5 सितंबर से	
	15	20	25	3500
सकेतक दिन (>=)	1000	2000		
पे-आउट (रु.)	3500			
कुल पे-आउट (रु.)	3500			

नोट : किसी भी दिन यदि वर्षा 2.5 मि.मि. से कम रिकार्ड होती है तो उसे वर्षा का दिन नहीं माना जायेगा और बहुत घटनावधों को अंतिम पे-आउट के लिए विचार किया जायेगा।

अधिक वर्षा (बहुत घटनावध)	अवस्था - प्रथम		अवस्था - द्वितीय		अवस्था - तृतीय	
	10 जुलाई से	31 जुलाई	1 अगस्त से	15 अगस्त	16 सितंबर से	15 नवंबर
वर्षावार दो दिनों की वर्षा	25	नि.मि.	150	नि.मि.	75	नि.मि.
सकेतक (>)	225	नि.मि.	50	नि.मि.	50	नि.मि.
निराम (रु./नि.मि.)	7.50		10.00		30.00	
पे-आउट (रु./नि.मि.)	50		1000		2250	
अधिकतम पे-आउट (रु.)	300					
कुल पे-आउट (रु.)						

कुल बीमा राशि (रु.)	20000
प्रिमियम (रु.)	2400
प्रिमियम %	12%
संवाकर-10.30%	247.20
कुल प्रिमियम (रु.)	2647.20

प्रिमियम राशि रु. (सेवाकर सहित)	
कृषक द्वारा देय	1324.00
राज्य सरकार का प्रिमियम अनुदान	661.80
भारत सरकार का प्रिमियम अनुदान	661.80

नोट : प्रिमियम राशि के 25 प्रतिशत पर फ्रान्चाइज (Franchise) लागू होगा अर्थात यदि कुल राशि रुपये 450.00 से कम होती है तो राशि देय नहीं होगी।

परिशिष्ट : 2

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ 2010
टर्मशीट (Termsheet)

राज्य : मध्यप्रदेश

जिला : इन्दौर

तहसील : हातोद

फसल	कपास	राजस्थान मौसम केंद्र	हातोद-स्वावलंब मौसम केंद्र (NCM/S)	वैकल्पिक मौसम केंद्र :	इन्दौर आईएमडी (IIND)
वर्षा में कमी					

वर्षा का आवकन	अवस्था - प्रथम		अवस्था - द्वितीय		अवस्था - तृतीय	
	10 जुलाई	से 31 जुलाई	1 अगस्त	से 25 अगस्त	26 अगस्त	से 15 अक्टूबर
संकेतक I (<)	100	मि.मि.	200	मि.मि.	120	मि.मि.
संकेतक II (<=)	40	मि.मि.	100	मि.मि.	50	मि.मि.
नियम	0		0		0	
दर I (रु./मि.मि.)	17.00		16.00		22.00	
दर II (रु./मि.मि.)	37.00		44.00		49.20	
अधिकतम पे-आउट (रु.)	2500		6000		4000	
कुल पे-आउट (रु.)	12500					

नोट : किसी अवस्था में संकेतक से दो गुने से अधिक वर्षा को आती अवस्था में जोड़ा (Carry Forward) जायेगा। प्रथम अवस्था के अंतर्गत संकेतक से अधिक की 25 प्रतिशत वर्षा (जबकि वर्षा संकेतक के दो गुने से अधिक रिफाई की गई हो) अवस्था द्वितीय के लिये मानी जायेगी। द्वितीय अवस्था के अंतर्गत संकेतक से अधिक की 30 प्रतिशत वर्षा (जबकि वर्षा संकेत के दो गुने से अधिक रिफाई की गई हो) अवस्था तृतीय के लिए मानी जायेगी।

वर्षा वितरण (लगतार सूखे दिन)	15 जुलाई		से 5 सितम्बर	
	15	20	25	3500
संकेतक (>=)	1000	2000		
कुल पे-आउट (रु.)	3500			

2 : किसी भी दिन यदि वर्षा 2.5 मि.मि. से कम रिफाई होती है तो उसे वर्षा का दिन नहीं माना जायेगा और बहुल घटनाओं को अंतिम पे-आउट के लिए विचार किया जायेगा

अधिक वर्षा (बहुल घटनाएं)	अवस्था - प्रथम		अवस्था - द्वितीय		अवस्था - तृतीय	
	10 जुलाई	से 31 जुलाई	1 अगस्त	से 15 सितम्बर	16 सितम्बर	से 15 नवंबर
संकेतक (>)	125	मि.मि.	150	मि.मि.	75	मि.मि.
नियम (मि.मि.)	225	मि.मि.	250	मि.मि.	150	मि.मि.
पे-आउट (रु./मि.मि.)	7.50		10.00		30.00	
अधिकतम पे-आउट	750		1000		2250	
कुल पे-आउट (रु.)	4000					

कुल बीमा राशि (रु.)	20000
प्रिमियम (रु.)	2400
प्रिमियम %	12%
सवाकार-10.30%	247.20
कुल प्रिमियम (रु.)	2647.20

प्रिमियम राशि रु. (सिवाकर सहित)	
भारत सरकार का प्रिमियम अनुदान	861.80
राज्य सरकार का प्रिमियम अनुदान	861.80
कुलक द्वारा देय	1324.00
कुलक द्वारा देय	861.80
कुलक द्वारा देय	661.80

नोट : दीर्घत राशि के 2.5 प्रतिशत पर फायरवून (Firecharge) लगा होगा अर्थात यदि कुल देय राशि रुपये 450.00 से कम होती है तो देय राश नहीं होगा।

एप्रिकल्चर इश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड परिशिष्ट : 2

मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीक 2010

टर्म्स शीट (Termsheet)

राज्य : मध्यप्रदेश

जिला : इन्दौर

वर्षा शीत : इन्दौर

काल : वर्ष में कमी	सोयाबीन	सादमित मौसम केन्द्र	इन्दौर आईएमडी (IMD)	वैकल्पिक मौसम केन्द्र :	इन्दौर स्थापित मौसम केन्द्र (NCMSL)
--------------------	---------	---------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------------------

वर्षा का आयतन	अवस्था - प्रथम		अवस्था - द्वितीय		अवस्था - तृतीय	
	10 जुलाई से	31 जुलाई	1 अप्रैल से	25 अप्रैल	28 अप्रैल से	15 अक्टूबर
सकेतक I (<)	40 मि.मी.		200 मि.मी.		110 मि.मी.	
सकेतक II (<)	40 मि.मी.		100 मि.मी.		50 मि.मी.	
निर्णय	0		0		0	
दर I (रु./मि.मी.)	18.00		16.00		20.00	
दर II (रु./मि.मी.)	34.00		39.00		46.00	
अधिकतम पे-आउट (रु.)	2000		5500		3500	
कुल पे-आउट (रु.)	11000					

नोट : किसी अवस्था में संकेतक से घटने से अधिक वर्षों को अगली अवस्था में जोड़ा (Carry Forward) जाएगा। प्रथम अवस्था के अन्तर्गत संकेतक से अधिक की 25 प्रतिशत वर्ष (जबकि वर्ष संकेतक से घटने से अधिक रिकार्ड की गई हो) अवस्था द्वितीय के लिये मानी जाएगी। द्वितीय अवस्था के अन्तर्गत संकेतक से अधिक की 30 प्रतिशत वर्ष (जबकि वर्ष संकेतक से घटने से अधिक रिकार्ड की गई हो) अवस्था तृतीय के लिए मानी जाएगी।

वर्षा विकल्प (लगातार सूखे दिने)	अवस्था - प्रथम		अवस्था - द्वितीय	
	15 जुलाई से	31 अप्रैल	1 अप्रैल से	25 अप्रैल
सकेतक दिन (>=)	45	20	200	25
पे-आउट (रु.)	4000	2000	100	3500
कुल पे-आउट (रु.)	3500			

5 : किसी भी दिन यदि वर्षा 2.5 मि.मि. से कम रिकार्ड होती है तो उसे वर्षा का दिन नहीं माना जाएगा और बहुत घटनेवाली को अंतिम पे-आउट के लिए विचार किया जाएगा

अधिक वर्ष (बहुल घटनेवाली)	अवस्था - प्रथम		अवस्था - द्वितीय		अवस्था - तृतीय	
	10 जुलाई से	31 जुलाई	1 अप्रैल से	15 अप्रैल	16 सितम्बर से	31 अक्टूबर
लगातार दो दिनों की वर्षा						
सकेतक (>)	125 मि.मि.		200 मि.मि.		75 मि.मि.	
निर्णय (मि.मि.)	225 मि.मि.		300 मि.मि.		150 मि.मि.	
पे-आउट (रु./मि.मि.)	7.50		10.00		23.33	
अधिकतम पे-आउट	750		1000		1750	
कुल पे-आउट (रु.)	3500					

कुल बीमा राशि (रु.)	10000
प्रीमियम (रु.)	1800
प्रीमियम %	10%
संचारक-10.30%	185.40
कुल प्रीमियम (रु.)	1985.40

प्रीमियम राशि रु. (लेवाकर सहित)	
वृषक द्वारा देय	885.00
राज्य सरकार का प्रीमियम अनुदान	646.20
भारत सरकार का प्रीमियम अनुदान	846.20

नोट : दीर्घित राशि के 2.5 प्रतिशत पर फ्रान्चाइज (Franchise) लागू होगा अर्थात् यदि कुल देय राशि रुपये 450.00 से कम होती है तो देय नहीं होगा।

परिशिष्ट : 2

एपीकल्बर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

मोसम आधारित फसल बीमा योजना खरीक 2010
टर्मशीट (Termsheet)

राज्य : मध्यप्रदेश

जिला : इन्दौर

तहसील : देपालपुर

करल वर्ष में कमी	संवर्धित मोसम केन्द्र	देपालपुर-स्वचलित मोसम केन्द्र (NCMSL)	केमरिक्क मोसम केन्द्र :	इन्दौर आई.एम.डी. (IMD)
------------------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------

वर्ष का आयतन	अवस्था - प्रथम		अवस्था - द्वितीय		अवस्था - तृतीय	
	10 जुलाई से	31 जुलाई	1 अगस्त से	25 अगस्त	26 अगस्त से	15 अक्टूबर
संकेतक I (<)	80	मि.मी.	200	मि.मी.	110	मि.मी.
संकेतक II (<)	40	मि.मी.	100	मि.मी.	50	मि.मी.
निर्णय	0		0		0	
दर I (रू./मि.मी.)	16.00		16.00		20.00	
दर II (रू./मि.मी.)	34.00		39.00		48.00	
अधिकतम पे-आउट (रू.)	2000		5500			
कुल पे-आउट (रू.)	11000				3500	

नोट : किसी अवस्था में संकेतक से दोगुने से अधिक वर्षों को अगली अवस्था में जोड़ा (Carry Forward) जायेगा । प्रथम अवस्था के अन्तर्गत संकेतक से अधिक की 25 प्रतिशत वर्ष (जबकि वर्ष संकेतक के दोगुने से अधिक रिकार्ड की गई हो) अवस्था द्वितीय के लिये मानी जायेगी । द्वितीय अवस्था के अन्तर्गत संकेतक से अधिक की 30 प्रतिशत वर्ष (जबकि वर्ष संकेतक के दोगुने से अधिक रिकार्ड की गई हो) अवस्था तृतीय के लिये मानी जायेगी ।

वर्ष वितरण (लगतार सूखे दिन)	15 जुलाई से		31 अगस्त से	
	15	20	25	3500
पे-आउट (रू.)	1000	2000		
कुल पे-आउट (रू.)	3500			

1 : किसी भी दिन यदि वर्ष 2.5 मि.मि. से कम रिकार्ड होती है तो उसे वर्ष का दिन नहीं माना जायेगा और बहुत घटनाओं को अंतिम पे-आउट के लिये विचार किया जायेगा

अधिक वर्ष (बहुत घटनाएँ)	अवस्था - प्रथम		अवस्था - द्वितीय		अवस्था - तृतीय	
	10 जुलाई से	31 जुलाई	1 अगस्त से	15 अगस्त	16 सितम्बर से	31 अक्टूबर
लगतार दो दिनों की वर्षा	125	मि.मि.	200	मि.मि.	75	मि.मि.
संकेतक (>)	225	मि.मि.	300	मि.मि.	150	मि.मि.
निर्णय (मि.मि.)	750		1000		23.33	
पे-आउट (रू./मि.मि.)	750					
अधिकतम पे-आउट	3500				1750	
कुल पे-आउट (रू.)						

कुल बीमा राशि (रू.)	18000
प्रिमियम (रू.)	1800
प्रिमियम %	10%
संबाहक-10.30%	185.40
कुल प्रिमियम (रू.)	1985.40

प्रिमियम राशि रू. (सेवाकर सहित)	
कृषक द्वारा देय	695.00
राज्य सरकार का प्रिमियम अनुदान	845.20
कुल प्रिमियम अनुदान	645.20

नोट : शीमल राशि के 2.5 प्रतिशत पर फचइज (Franchise) लागू होगा अर्थात यदि कुल बीमा राशि रुपये 450.00 से कम होती है तो बाका देय नहीं होगा ।

परिशिष्ट - 2

एप्रीकवर इयोरंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ 2010

टर्मशीट (Termsheet)

राज्य : मध्यप्रदेश

जिला : इन्दौर

तहसील : महु

कसल वर्ष में कमी	संवर्धित मौसम केंद्र महु स्वयंचालित मौसम केंद्र (NCMSIL)	विकल्पिक मौसम केंद्र इन्दौर आईएम.डी. (IMID)
------------------	--	---

वर्ष का आयतन	अवस्था - प्रथम		अवस्था - द्वितीय		अवस्था - तृतीय	
	अवधि	10 जुलाई से 31 जुलाई	1 अगस्त से 31 अगस्त	1 अगस्त से 31 अगस्त	1 अगस्त से 31 अक्टूबर	1 अगस्त से 31 अक्टूबर
संकेतक I (<)	80	नि.मि.	200	नि.मि.	110	नि.मि.
संकेतक II (<=)	40	नि.मि.	100	नि.मि.	50	नि.मि.
नियम	0		0		0	
दर I (रु./मि.मि.)	16.00		16.00		20.00	
दर II (रु./मि.मि.)	34.00		39.00		46.00	
अधिकतम पे-आउट (रु.)	2000		5500		3500	
कुल पे-आउट (रु.)	11000					

नोट : किसी अवस्था में संकेतक से योगने से अधिक वर्ष को आजी अवस्था में जोड़ा (Carry Forward) जायेगा। प्रथम अवस्था के अन्तर्गत संकेतक से अधिक की 25 प्रतिशत वर्ष (जबकि वर्ष संकेत के योगने से अधिक संकेतक के योगने से अधिक रिकार्ड की गई हो) अवस्था द्वितीय के लिये मानी जायेगी। द्वितीय अवस्था के अन्तर्गत संकेतक से अधिक की 30 प्रतिशत वर्ष (जबकि वर्ष संकेत के योगने से अधिक रिकार्ड की गई हो) अवस्था तृतीय के लिए मानी जायेगी।

वर्ष वितरण (लगातार पूरे दिन)	15 जुलाई से 31 अगस्त	
	अवधि	संकेतक दिन (>=)
	15	20
पे-आउट (रु.)	1000	2000
कुल पे-आउट (रु.)	3500	

1 : किसी भी दिन यदि वर्ष 2.5 मि.मि. से कम रिकार्ड होती है तो उसे वर्ष का दिन नहीं माना जायेगा और बहुत घटनाओं को अंतिम पे-आउट के लिए विचार किया जायेगा

अधिक वर्ष (बहुत घटनाएं)	अवस्था - प्रथम		अवस्था - द्वितीय		अवस्था - तृतीय	
	अवधि	10 जुलाई से 31 जुलाई	1 अगस्त से 31 अगस्त	1 अगस्त से 31 अगस्त	1 अगस्त से 31 अक्टूबर	1 अगस्त से 31 अक्टूबर
लगातार दो दिनों को वर्ष संकेतक (>)	125	नि.मि.	200	नि.मि.	75	नि.मि.
निर्भर (मि.मि.)	225	नि.मि.	300	नि.मि.	150	नि.मि.
पे-आउट (रु./मि.मि.)	7.50		10.00		23.33	
अधिकतम पे-आउट	750		1000		1750	
कुल पे-आउट (रु.)	3500					

कुल बीमा राशि (रु.)	18000
प्रिमियम (रु.)	1800
प्रिमियम %	10%
संवाकर-10.30%	185.40
कुल प्रिमियम (रु.)	1985.40

प्रिमियम राशि रु. (सेवाकर सहित)	
कृषक द्वारा देय	राज्य सरकार का प्रिमियम अनुदान
685.00	645.20
	645.20

नोट : बीमित राशि के 2.5 प्रतिशत पर फ्रान्चाइज (Franchise) लागू होगा अर्थात यदि कुल दावा राशि रुपये 450.00 से कम होती है तो दावा देय नहीं होगा।

परिशिष्ट : 2

एप्रीकलवर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
नीसम आधारित प्रथम बीमा योजना खरीक 2010
टर्मशीट (Termsheet)

राज्य : मध्यप्रदेश

शिला : इन्दौर

तारीख : ३१/०७/१०

हालात

कपाल	संवर्धित नीसम केंद्र	हालात-स्वचालित नीसम केंद्र (NCM-SL)	कैलिक निसम केंद्र	इन्दौर आई.एम.डी. (IMD)
वर्षा में कमी				

वर्षा का आयतन	अवस्था - प्रथम		अवस्था - द्वितीय		अवस्था - तृतीय	
	10 जुलाई से	31 जुलाई	1 अप्रैल से	25 अप्रैल	28 अप्रैल से	15 अक्टूबर
संकेतक I (>)	80	मि.मी.	200	मि.मी.	110	मि.मी.
संकेतक II (<)	40	मि.मी.	100	मि.मी.	50	मि.मी.
निर्णय	0		0		0	
दर I (रु./मि.मी.)	18.00		16.00		20.00	
दर II (रु./मि.मी.)	34.00		39.00		46.00	
अधिकतम पे-आउट (रु.)	2000		3500		4600	
कुल पे-आउट (रु.)	11000		5500		3500	

नोट : किसी अवस्था में संकेतक से दोगुने से अधिक वर्षा को अगामी अवस्था में जोड़ा (Carry Forward) जाएगा। प्रथम अवस्था के अंतर्गत संकेतक से अधिक की 25 प्रतिशत वर्षा (जबकि वर्षा संकेतक के दोगुने से अधिक रिकार्ड की गई हो) अवस्था द्वितीय के हिते मानी जाएगी। द्वितीय अवस्था के अंतर्गत संकेतक से अधिक की 30 प्रतिशत वर्षा (जबकि वर्षा संकेतक के दोगुने से अधिक रिकार्ड की गई हो) अवस्था तृतीय के हिते मानी जाएगी।

वर्षा वितरण (सामान्यतः 30 दिनों में)	15 जुलाई से	31 जुलाई
संकेतक दिन (>=)	15	20
पे-आउट (रु.)	1000	2000
कुल पे-आउट (रु.)	3500	

1 : किसी भी दिन यदि वर्षा 2.5 मि.मि. से कम रिकार्ड होती है तो उसे वर्षा का दिन नहीं माना जाएगा और बहुत घटनाओं को अंतिम पे-आउट के लिए विचार किया जाएगा।

अधिक वर्षा (बहुल घटनाएँ)	अवस्था - प्रथम		अवस्था - द्वितीय		अवस्था - तृतीय	
	10 जुलाई से	31 जुलाई	1 अप्रैल से	15 सितम्बर	16 सितम्बर से	31 अक्टूबर
वर्षा	125	मि.मि.	200	मि.मि.	75	मि.मि.
संकेतक (>)	225	मि.मि.	300	मि.मि.	150	मि.मि.
निर्णय (रु./मि.मि.)	7.50		10.00		23.33	
अधिकतम पे-आउट	750		1800		1750	
कुल पे-आउट (रु.)	3500					

कुल बीमा राशि (रु.)	18000
प्रिमियम (रु.)	1800
प्रिमियम %	10%
संबन्धित-10.30%	185.40
कुल प्रिमियम (रु.)	1985.40

प्रिमियम राशि रु. (सेवाकर सहित)	
कुल बीमा राशि	18000
राज्य सेवाकर का प्रिमियम अनुदान	646.20
कुल बीमा राशि	18646.20

नोट : प्रिमियम राशि के 2.5 प्रतिशत पर फ्रान्चाइज (Franchise) लागू होगा अर्थात् यदि कुल बीमा राशि रुपये 450,000 से कम होती है तो बीमा राशि नहीं होगा।

परिशिष्ट : 2

एग््रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

मांसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ 2010
टर्मशीट (Termsheet)

राज्य : मध्यप्रदेश

जिला : इन्दौर

संवर्ष :

फसल : सोयाबीन	संवर्धित गोसम केन्द्र : सावैर -सुधावलि नौसम केन्द्र (N.C.M.S.L)	वैकल्पिक गोसम केन्द्र :
वर्ष में कमी	सावैर आर्इ एम.डी. (IMD)	

वर्ष का आयतन	अवस्था - प्रथम		अवस्था - द्वितीय		अवस्था - तृतीय	
	अवधि	10 जुलाई से 31 जुलाई	1 अप्रैल से 31 अप्रैल	25 अप्रैल से 15 अक्टूबर	26 अप्रैल से 15 अक्टूबर	
संकेतक I (<)	80	मि.मि.	200	मि.मि.	110	मि.मि.
संकेतक II (<)	40	मि.मि.	100	मि.मि.	50	मि.मि.
निर्णय	0		0		0	
दर I (रु./मि.मी.)	16.00		16.00		20.00	
दर II (रु./मि.मी.)	34.00		39.00		46.00	
अधिकतम पे-आउट (रु.)	2000		3900		4600	
कुल पे-आउट (रु.)	11000		5500		3500	

नोट : किसी अवस्था में संकेतक से योगदान से अधिक वर्षों को आगरी अवस्था में जोड़ा (Carry Forward) जायेगा । प्रथम अवस्था के अन्तर्गत संकेतक से अधिक की 25 प्रतिशत वर्षों (एकड़िक वर्ष) संकेतक के योगदान से अधिक रिकार्ड की गई हो) अवस्था द्वितीय के लिये गानी जायेगी। द्वितीय अवस्था के अन्तर्गत संकेतक से अधिक की 30 प्रतिशत वर्षों (एकड़िक वर्ष) संकेतक के योगदान से अधिक रिकार्ड की गई हो) अवस्था तृतीय के लिये गानी जायेगी।

वर्ष वितरण (लगातार सूखे दिन)	अवधि	15 जुलाई से 31 अप्रैल
	संकेतक दिन (>=)	20
	पे-आउट (रु.)	1000
	कुल पे-आउट (रु.)	3500

1 : किसी भी दिन यदि वर्षा 2.5 मि.मि. से कम रिकार्ड होती है तो उसे वर्षों का दिन नहीं गाना जायेगा और बहुल घटनाओं को अतिम पे-आउट के लिए विचार किया जायेगा

अधिक वर्ष (बहुल घटनायें)	अवस्था - प्रथम		अवस्था - द्वितीय		अवस्था - तृतीय	
	अवधि	10 जुलाई से 31 जुलाई	1 अप्रैल से 15 फ़रवरी	16 फ़रवरी से 31 अक्टूबर		
लगातार दो दिनों की वर्षा संकेतक (>=)	125	मि.मि.	200	मि.मि.	75	मि.मि.
निर्णय (मि.मि.)	225	मि.मि.	400	मि.मि.	150	मि.मि.
पे-आउट (रु./मि.मि.)	7.50		10.00		23.33	
अधिकतम पे-आउट	750		1000		1750	
कुल पे-आउट (रु.)	3500					

कुल बीमा राशि (रु.)	18800
प्रीमियम (रु.)	1800
प्रीमियम %	10%
सवाकर-10.30%	185.40
कुल प्रीमियम (रु.)	1985.40

प्रीमियम राशि (रु. (सिवाकर सहित))	भारत सरकार का प्रीमियम अनुदान
कुल हारा देय 695.00	845.20
	अनुदान 645.20

नोट : बीमित राशि के 2.5 प्रतिशत पर फ्रान्चाइज (Franchise) लागू होगा अर्थात यदि कुल दावा राशि रूपये 45000 से कम होती है तो दावा देय नहीं होगा ।

परिशिष्ट : 3

मध्यप्रदेश राज्य मौसम आधाधिकृत फ़सल बीमा योजना (अप्रैल 2010)

क्रियान्वयन एजेंसी :- आईसीआईसीआई लोन्गवर्ड जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड भोपाल

संवर्धित इकाई क्षेत्र, संवर्धित मौसम केन्द्र, ईकोनॉमिक मौसम केन्द्र, फ़सलवार शीमस प्रति, शीमस की उर्दे, सहायी अद्ययन और विकास द्वारा, रोज़ शीमस

क्र.सं.	फ़सल	जिला	संवर्धित इकाई क्षेत्र	संवर्धित मौसम केन्द्र	ईकोनॉमिक मौसम केन्द्र	आवृत्तित मौसम शीमस एवं आकषण के अनुसंधान जोडिका अवधि	शीमस प्रति (रु.)	श्रीमस प्रति इन्डर (रु.)	कुल शीमस सेवा कर प्रति इन्डर (रु.)	(राज्य सरकार अनुदान प्रति इन्डर (रु.)	(राज्य सरकार अनुदान प्रति इन्डर (रु.)	शीमस + सेवा कर) प्रति इन्डर (रु.)	शीमस करने की शीमस दिनांक		शीमस कम्पनी को रीपिआउट, शीमस प्रति के साथ काम करने की शीमस दिनांक	
													अगस्त 2010	जून 2010	अगस्त 2010	जून 2010
1	कपास	धार	धार	धार	भारतीय मौसम विभाग केन्द्र	1) कम बारिश आवृत्तित अवधियों के दौरान कुल वर्षा मिलने (15 जून 2010 से 14 सितंबर 2010) 2) अधिक वर्षा (15 जून 2010 से 15 अक्टूबर 2010) 3) लगातार सूखे दिन (1 जुलाई 2010 से 14 सितंबर 2010)	20000	2400	2647.20	681.60	681.60	1324.00	10 अगस्त 2010	15 जून 2010	10 सितंबर 2010	30 जून 2010
2	कपास	धार	सदनावर	सदनावर	भारतीय मौसम विभाग केन्द्र	1) कम बारिश आवृत्तित अवधियों के दौरान कुल वर्षा मिलने (15 जून 2010 से 14 सितंबर 2010) 2) अधिक वर्षा (15 जून 2010 से 15 अक्टूबर 2010) 3) लगातार सूखे दिन (1 जुलाई 2010 से 14 सितंबर 2010)	20000	2400	2647.20	681.60	681.60	1324.00	10 अगस्त 2010	15 जून 2010	10 सितंबर 2010	30 जून 2010
3	कपास	धार	सरवारपुर	धार	भारतीय मौसम विभाग केन्द्र	1) कम बारिश आवृत्तित अवधियों के दौरान कुल वर्षा मिलने (15 जून 2010 से 14 सितंबर 2010) 2) अधिक वर्षा (15 जून 2010 से 15 अक्टूबर 2010) 3) लगातार सूखे दिन (1 जुलाई 2010 से 14 सितंबर 2010)	20000	2400	2647.20	681.60	681.60	1324.00	10 अगस्त 2010	15 जून 2010	10 सितंबर 2010	30 जून 2010
4	कपास	धार	कुशी	कुशी	भारतीय मौसम विभाग केन्द्र	1) कम बारिश आवृत्तित अवधियों के दौरान कुल वर्षा मिलने (15 जून 2010 से 14 सितंबर 2010) 2) अधिक वर्षा (15 जून 2010 से 15 अक्टूबर 2010) 3) लगातार सूखे दिन (1 जुलाई 2010 से 14 सितंबर 2010)	20000	2400	2647.20	681.60	681.60	1324.00	10 अगस्त 2010	15 जून 2010	10 सितंबर 2010	30 जून 2010
5	कपास	धार	मनावर	धार	भारतीय मौसम विभाग केन्द्र	1) कम बारिश आवृत्तित अवधियों के दौरान कुल वर्षा मिलने (15 जून 2010 से 14 सितंबर 2010) 2) अधिक वर्षा (15 जून 2010 से 15 अक्टूबर 2010) 3) लगातार सूखे दिन (1 जुलाई 2010 से 14 सितंबर 2010)	20000	2400	2647.20	681.60	681.60	1324.00	10 अगस्त 2010	15 जून 2010	10 सितंबर 2010	30 जून 2010
6	कपास	धार	गंधवानी	धार	भारतीय मौसम विभाग केन्द्र	1) कम बारिश आवृत्तित अवधियों के दौरान कुल वर्षा मिलने (15 जून 2010 से 14 सितंबर 2010) 2) अधिक वर्षा (15 जून 2010 से 15 अक्टूबर 2010) 3) लगातार सूखे दिन (1 जुलाई 2010 से 14 सितंबर 2010)	20000	2400	2647.20	681.60	681.60	1324.00	10 अगस्त 2010	15 जून 2010	10 सितंबर 2010	30 जून 2010
7	कपास	धार	धारपुरी	धार	भारतीय मौसम विभाग केन्द्र	1) कम बारिश आवृत्तित अवधियों के दौरान कुल वर्षा मिलने (15 जून 2010 से 14 सितंबर 2010) 2) अधिक वर्षा (15 जून 2010 से 15 अक्टूबर 2010) 3) लगातार सूखे दिन (1 जुलाई 2010 से 14 सितंबर 2010)	20000	2400	2647.20	681.60	681.60	1324.00	10 अगस्त 2010	15 जून 2010	10 सितंबर 2010	30 जून 2010

* सार्वजनिक मौसम केन्द्र (NCMSL - National Collateral Management Services Ltd.)

** भारतीय मौसम विभाग (IMD - India Meteorological Department)

मध्यप्रदेश राज्य मौसम आणवित फसल बीमा योजना (गवलेट) मौसम खरीफ 2010

क्रियान्वयन एजेंसी :- आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्शुरेंस कम्पनी लिमिटेड गोपाल

परिशिष्ट-3

संश्लिष्ट ब्याज देय, संश्लिष्ट मौसम केन्द्र-ईकोनॉमिक मौसम केन्द्र, फसलवार बीमा प्राप्ति, प्रीमियम की दरें, सरकारों अनुदान और किसान द्वारा देय प्रीमियम

क्र. सं.	फसल	जिला	संश्लिष्ट ब्याज देय एजेंसी	संश्लिष्ट मौसम केन्द्र	ईकोनॉमिक (संरक्षण) मौसम केन्द्र	आवृत्त मौसम जोखिम एवं आवरण के अनुपात जोखिम अवधि	बीमित प्राप्ति प्रति हेक्टर (₹)	बूट प्रीमियम प्रति हेक्टर (₹)	कुल प्रीमियम देय प्रति हेक्टर (₹)	कुल प्रीमियम अनुदान प्रति हेक्टर (₹)	व्यय सरकार अनुदान प्रति हेक्टर (₹)	लेन बरकार अनुदान प्रति हेक्टर (₹)	(0) निम्न + रोग करी किमान द्वारा देय प्राप्ति (₹)	बीमा करने की शर्तियाँ		बीमा कम्पनी को रोग करने के लिए प्रीमियम देय के साथ प्राप्त करने की शर्तियाँ	
														आवृत्त प्राप्ति	आवृत्त प्राप्ति		आवृत्त प्राप्ति
1	सोयाबीन	धार	धार	धार	भारतीय मौसम विभाग केन्द्र	1) कम बारिश आवृत्त अवस्थाओं के दौरान कुल प्राप्ति (15 जून 2010 से 14 सितंबर 2010) 2) अधिक वर्षा (15 जून 2010 से 15 अक्टूबर 2010) लगातार चूले दिन (1 जुलाई 2010 से 14 सितंबर 2010)	18000	1800	1985.40	645.60	645.60	645.60	695.00	10 अप्रैल 2010	15 जून 2010	10 सितंबर 2010	30 जून 2010
2	सोयाबीन	धार	धरमावर	धरमावर	भारतीय मौसम विभाग केन्द्र	1) कम बारिश आवृत्त अवस्थाओं के दौरान कुल प्राप्ति (15 जून 2010 से 14 सितंबर 2010) 2) अधिक वर्षा (15 जून 2010 से 15 अक्टूबर 2010) लगातार चूले दिन (1 जुलाई 2010 से 14 सितंबर 2010)	18000	1800	1985.40	645.60	645.60	645.60	695.00	10 अप्रैल 2010	15 जून 2010	10 सितंबर 2010	30 जून 2010
3	सोयाबीन	धार	धरमावर	धरमावर	भारतीय मौसम विभाग केन्द्र	1) कम बारिश आवृत्त अवस्थाओं के दौरान कुल प्राप्ति (15 जून 2010 से 14 सितंबर 2010) 2) अधिक वर्षा (15 जून 2010 से 15 अक्टूबर 2010) लगातार चूले दिन (1 जुलाई 2010 से 14 सितंबर 2010)	18000	1800	1985.40	645.60	645.60	645.60	695.00	10 अप्रैल 2010	15 जून 2010	10 सितंबर 2010	30 जून 2010
4	सोयाबीन	धार	धरमावर	धरमावर	भारतीय मौसम विभाग केन्द्र	1) कम बारिश आवृत्त अवस्थाओं के दौरान कुल प्राप्ति (15 जून 2010 से 14 सितंबर 2010) 2) अधिक वर्षा (15 जून 2010 से 15 अक्टूबर 2010) लगातार चूले दिन (1 जुलाई 2010 से 14 सितंबर 2010)	18000	1800	1985.40	645.60	645.60	645.60	695.00	10 अप्रैल 2010	15 जून 2010	10 सितंबर 2010	30 जून 2010
5	सोयाबीन	धार	धरमावर	धरमावर	भारतीय मौसम विभाग केन्द्र	1) कम बारिश आवृत्त अवस्थाओं के दौरान कुल प्राप्ति (15 जून 2010 से 14 सितंबर 2010) 2) अधिक वर्षा (15 जून 2010 से 15 अक्टूबर 2010) लगातार चूले दिन (1 जुलाई 2010 से 14 सितंबर 2010)	18000	1800	1985.40	645.60	645.60	645.60	695.00	10 अप्रैल 2010	15 जून 2010	10 सितंबर 2010	30 जून 2010
6	सोयाबीन	धार	धरमावर	धरमावर	भारतीय मौसम विभाग केन्द्र	1) कम बारिश आवृत्त अवस्थाओं के दौरान कुल प्राप्ति (15 जून 2010 से 14 सितंबर 2010) 2) अधिक वर्षा (15 जून 2010 से 15 अक्टूबर 2010) लगातार चूले दिन (1 जुलाई 2010 से 14 सितंबर 2010)	18000	1800	1985.40	645.60	645.60	645.60	695.00	10 अप्रैल 2010	15 जून 2010	10 सितंबर 2010	30 जून 2010
7	सोयाबीन	धार	धरमावर	धरमावर	भारतीय मौसम विभाग केन्द्र	1) कम बारिश आवृत्त अवस्थाओं के दौरान कुल प्राप्ति (15 जून 2010 से 14 सितंबर 2010) 2) अधिक वर्षा (15 जून 2010 से 15 अक्टूबर 2010) लगातार चूले दिन (1 जुलाई 2010 से 14 सितंबर 2010)	18000	1800	1985.40	645.60	645.60	645.60	695.00	10 अप्रैल 2010	15 जून 2010	10 सितंबर 2010	30 जून 2010

* संश्लिष्ट मौसम केन्द्र (NCMSL- National Collateral Management Services Ltd.)
** भारतीय मौसम विभाग (IMD - India Meteorological Department)

आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड- मौसम आधारित फसल बीमा योजना -खरीफ-2010

फसल
जोखिम-1
संदर्भ मौसम केन्द्र
मापन

कपास
कम बारिश
एन.सी.एम.एस.एल.- धार, कुक्षी, बदनावर, धरम पूरी
अवस्था अवधि के दौरान कुल वर्षा (मि.मी.)

बीमा संरक्षण अवस्था अवधि	15 जून 2010 से 14 सितंबर 2010
दावा भुगतान स्तर 1 (मि.मी.)	475.00
दावा भुगतान स्तर 2 (मि.मी.)	300.00
दावा भुगतान स्तर 3 (मि.मी.)	200.00
सम्पूर्ण भुगतान स्तर (मि.मी.)	150.00
भुगतान की दर 1 (रु./मि.मी./हेक्टेयर)	400.00
भुगतान की दर 2 (रु./मि.मी./हेक्टेयर)	1600.00
भुगतान की दर 3 (रु./मि.मी./हेक्टेयर)	3200.00
भुगतान की दर 4 (रु./मि.मी./हेक्टेयर)	6000.00
बीमा राशि (रु.) / प्रति हेक्टेयर	6000.00

जोखिम 2 : अधिक बारिश

मौसम सूचकांक : बीमा कालावधि के दौरान लगातार किन्हीं तीन दिनों में मिमी में संचयी बारिश का अधिकतम

बीमा संरक्षण अवस्था अवधि	15 जून 2010 से 15 अक्टूबर 2010
दावा भुगतान स्तर (मि.मी.)	196.00
सम्पूर्ण भुगतान स्तर (मि.मी.)	435.00
सांकेतिक (नोशनल) (रु./मि.मी./हेक्टेयर)	29.29
बीमा राशि (रु.) / प्रति हेक्टेयर	7000.00

जोखिम 3 : सूखे दिन

मौसम सूचकांक : बीमा कालावधि के दौरान लगातार सूखे दिनों की अधिकतम (Consecutive Dry Days-CDD)संख्या जिसमें कोई सूखा दिन वह दिन है जिसमें 2.5 मि.मी. तक या इससे कम बारिश हुई हो तथा लगातार सूखे दिनों में एक दिन का अन्तर स्वीकार्य हो अगर उस दिन 10 मि.मी. से ज्यादा बारिश नहीं हुई हो।

बीमा संरक्षण अवस्था अवधि	15 जून 2010 से 14 सितंबर 2010
दावा भुगतान स्तर (दिन)	18
सम्पूर्ण भुगतान स्तर (दिन)	56
सांकेतिक (नोशनल) (रु./दिन)/प्रति हेक्टेयर	184.21
बीमा राशि (रु.) / प्रतिहेक्टेयर	7000.00

संयुक्त पालिसी बीमा राशी (रु.) / प्रतिहेक्टेयर 20000.00

संयुक्त पालिसी प्रीमियम* (रु.) / प्रतिहेक्टेयर 2647.20

किसान द्वारा देय प्रीमियम* (रु.) / प्रतिहेक्टेयर 1324.00

राज्य शासन का अनुदान प्रीमियम* (रु.) / प्रतिहेक्टेयर 661.60

केन्द्र शासन का अनुदान प्रीमियम* (रु.) / प्रतिहेक्टेयर 661.60

आकडा स्रोत

निपटान तिथि

*प्रीमियम सविस टेक्स सहित

स्वतंत्र तृतीय पार्टी

सत्यापित आकडे प्राप्ति के 30 दिन पश्चात

परिशिष्ट -4

आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड-मौसम आधारित फसल बीमा योजना -खरीफ-2010

फसल
जोखिम-1
संदर्भ मौसम केन्द्र
भापन

सोयाबीन
कम बारिश
एन.सी.एम.एस.एल.- धार, कुशी, बदनावर, धरम पूरी
अवस्था अवधि के दौरान कुल वर्षा (मि.मी.)

बीमा संरक्षण अवस्था अवधि	15 जून 2010 से 14 सितंबर 2010
दावा भुगतान स्तर 1 (मि.मी.)	475.00
दावा भुगतान स्तर 2 (मि.मी.)	275.00
दावा भुगतान स्तर 3 (मि.मी.)	200.00
सम्पूर्ण भुगतान स्तर (मि.मी.)	150.00
भुगतान की दर 1 (रु./मि.मी./हैक्टेयर)	525.00
भुगतान की दर 2 (रु./मि.मी./हैक्टेयर)	1400.00
भुगतान की दर 3 (रु./मि.मी./हैक्टेयर)	3150.00
भुगतान की दर 4 (रु./मि.मी./हैक्टेयर)	7000.00
बीमा राशि (रु.) / प्रति हैक्टेयर	7000.00

जोखिम 2 : अधिक बारिश

मौसम सूचकांक : बीमा कालावधि के दौरान लगातार किन्हीं तीन दिनों में मिमी में संचयी बारिश का अधिकतम

बीमा संरक्षण अवस्था अवधि	15 जून 2010 से 15 अक्टूबर 2010
दावा भुगतान स्तर (मि.मी.)	210.00
सम्पूर्ण भुगतान स्तर (मि.मी.)	425.00
सांकेतिक (नोशनल) (रु./मि.मी./हैक्टेयर)	25.58
बीमा राशि (रु.) / प्रति हैक्टेयर	5500.00

जोखिम 3 : सूखे दिन

मौसम सूचकांक : बीमा कालावधि के दौरान लगातार सूखे दिनों की अधिकतम (Consecutive Dry Days-CDD)संख्या जिसमें कोई सूखा दिन वह दिन है जिसमें 2.5 मि.मी. तक या इससे कम बारिश हुई हो तथा लगातार सूखे दिनों में एक दिन का अन्तर स्वीकार्य हो अगर उस दिन 10 मि.मी. से ज्यादा बारिश नहीं हुई हो।

बीमा संरक्षण अवस्था अवधि	15 जून 2010 से 14 सितंबर 2010
दावा भुगतान स्तर (दिन)	20
सम्पूर्ण भुगतान स्तर (दिन)	55
सांकेतिक (नोशनल) (रु./दिन)/प्रति हैक्टेयर	157.14
बीमा राशि (रु.) / प्रति हैक्टेयर	5500.00

संयुक्त पालिसी बीमा राशी (रु.) / प्रति हैक्टेयर 18000.00

संयुक्त पालिसी प्रीमियम* (रु.) / प्रति हैक्टेयर 1985.40

किसान द्वारा देय प्रीमियम* (रु.) / प्रति हैक्टेयर 695.00

राज्य शासन का अनुदान प्रीमियम* (रु.) / प्रति हैक्टेयर 645.20

केन्द्र शासन का अनुदान प्रीमियम* (रु.) / प्रति हैक्टेयर 645.20

आकडा संत्रोत

निपटान तिथि

*प्रीमियम सविस टेक्स सहित

स्वतंत्र तृतीय पार्टी

सत्यापित आकडे प्राप्ति के 30 दिन पश्चात